बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9 / आ0–05–10 / 2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–476 / सी० दिनांक–07.02.2025 द्वारा उप विकास आयुक्त, गोपालगज द्वारा दिनांक–04.02.2025 को सदर अस्पताल, गोपालगंज में किये गये औचक निरीक्षण के प्रतिवेदन में डॉ० अनुरजिता परासर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज के विरुद्ध कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0–207(9) दिनांक 10 03.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी। जिसके आलोक में डा० परासर द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

2. डॉ० परासर द्वारा समर्पित अभिकथन में अंकित किया गया है कि RKS सदर अस्पताल, गोपालगंज के पत्रांक–103 दिनांक 20 03.2024 द्वारा चिकित्सको का कर्त्तव्य निर्धारित किया गया था, औचक निरीक्षण की तिथि–04.02.2025 (मंगलवार) को उनका कर्तव्य निर्धारित नहीं था। यद्यपि डॉ० परासर द्वारा दिनांक 04.02.2025 को HIV Sehtinel Surveillance–19 के अन्तर्गत Site in-charge के दायित्व का निर्वहन किया गया है। उनके द्वारा उक्त तिथि को उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज किया गया है। दिनांक 04.02.2025 को उनके द्वारा ICTC-PPTCT कक्ष में Blood Serums एवं Consent Forms को सत्यापित कर Lab Technician के माध्यम से Microbiology Department SKMCH Muzzaffarpur को भेजी गयी है।

3. विभागीय पत्राक–761(9) दिनांक–11.07.2025 द्वारा सिविल सर्जन, गोपालगंज से डॉ० परासर के कार्यो से संबंधित साक्ष्य को सत्याप्ति कर प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिसके तहत सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक–2286 दिनांक–25.08.2025 द्वारा डॉ० परासर के कार्यो को सत्यापित कर कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० परासर के विरूद्ध गठित आरोप एवं सिविल सर्जन, गोपालगंज द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय ज्ञापन सं0–207(9) दिनांक–10.03.2025 के द्वारा गठित आरोप में डॉ० परासर को कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ० अनुरंजिता परासर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0–207(9) दिनांक–10.03.2025 द्वारा गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9 / आ0–05–10 / 2025(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव।

11/03/2026

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–05–10/2025(स्वा0) 294(9) /पटना, दिनांकः– 11.03.26

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, गोपलगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० अनुरंजिता परासर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र
11/03/26

सरकार के अवर सचिव।